भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4136

जिसका उत्तर 12.12.2019 को दिया जाना है

टोल प्लाजाओं के मध्य विनिर्धारित दूरी

4136. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रावः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी नियमों के अनुसार एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा/प्लाजाओं के मध्य विनिर्धारित दूरी कितनी है;

(ख) क्या उक्त नियम केवल ईपीसी परियोजनाओं के लिए लागू होता है या बीओटी परियोजनाओं के लिए भी लागू होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश के वेंकटाचलम और सुलूटपेट (एचएच-5) के खंड में स्थित टोल गेट/प्लाजाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त खंड में स्थित सभी टोल गेट/प्लाजा विनिर्धारित नियमों के अनुसार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय राजमारग शुल्क (दरों और संग्रहण का निर्धारण) नियम, 2008 के नियम 8(2) के अनुसार - "राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी सेक्शन पर और एक ही दिशा में साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा।

परंतु जहां निष्पादन प्राधिकारी आवश्यक समझे, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, साठ किलोमीटर के भीतर कोई अन्य पथकर प्लाजा स्थापित कर सकेगा या स्थापित करने के लिए रियायतग्राही को अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि ऐसा पथकर प्लाजा दूसरे पथकर प्लाजा से साठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित में स्थापित किया जा सकेगा, यदि ऐसा पथकर प्लाजा स्थायी पुल, उपमार्ग या सुरंग के लिए फीस के संग्रहण के लिए है।" ये नियम 05.12.2008 को या उसके बाद शुरू की गई ईपीसी और बीओटी परियोजनाओं के लिए लागू है।

(ग) से (ङ): ताडा-नेल्लोर खंड पर तीन शुल्क प्लाजा अर्थात वेंकटाचलम, बुधानाम और सुलूटपेट आंध्रप्रदेश में वेंकटाचलम और सुलूटपेट (एनएच-5) के बीच स्थित हैं। ये प्लाजा बीओटी (टोल) रियायात अनुबंध पर हैं और शुल्क प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 1997 के आधार पर और परियोजना खंड के रियायत अनुबंध के अनुसार स्थापित किए जाते हैं।

*****